भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1568
(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मिजोरम में पीएमजीएसवाई

1568. श्री रिचर्ड वनलालह्लंगइहा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिजोरम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण अथवा दुर्गम भू-भाग के कारण पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में विलंब हो रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरा की जाने वाली लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न घटकों के तहत, मिजोरम राज्य के लिए 3,412.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 4,935 किलोमीटर लंबाई के 367 सड़क कार्य और 07 पुल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से , 4,638 किलोमीटर लंबाई के 345 सड़क कार्य 2,736.65 करोड़ रुपए (राज्यांश सहित) की लागत से पूरे किए जा चुके हैं। घटक-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट https://pmgsy.dord.gov.in->Progress Monitoring->State MPR Abstract Report पर देखा जा सकता है।

(ख) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है, और पीएमजीएसवाई बारहमासी सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत सरकार का एकबारगी विशेष कार्यकलाप है। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार , कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार , कार्यक्रम के तहत सड़कों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते

समय राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भूमि उपलब्ध है, इस संबंधी आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना होता है। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में कार्यक्रम के तहत सड़कों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु निधियां उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार , लुंगलेई जिले में 33 किलोमीटर लंबाई के 02 सड़क कार्यों का निर्माण भूमि अधिग्रहण के कारण रुका हुआ है , क्योंकि ये सड़कें नदी तटीय क्षेत्र में आती हैं, और यह मामला राज्य वन विभाग के पास लंबित है।

(ग) राज्य में पीएमजीएसवाई-I (जो वर्ष 2000 में शुरू हुआ था) के तहत 3 किलोमीटर लंबाई की 5 सड़कें लंबित हैं। पीएमजीएसवाई -I कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा 31.03.2025 थी, और इसके बाद, राज्य को पीएमजीएसवाई-I के तहत शेष कार्य राज्य की निधियों से ही पूरे करने होंगे। पीएमजीएसवाई-III के तहत, राज्य में 272 किलोमीटर लंबाई की 17 सड़कें और 7 पुल निर्माण के लिए लंबित हैं। पीएमजीएसवाई -III कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा 31.03.2026 तक बढ़ा दी गई है।

(घ) पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार , पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का योजना की समय-सीमा के भीतर निष्पादन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि , ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत सड़क कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

i. क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों, और राज्यों के साथ पूर्व अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से कार्यक्रम की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

ii. कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए भूमि संबंधी मुद्दों, वन स्वीकृतियों आदि से संबंधित मामलों में तेजी लाने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें बुलाने के लिए राज्य सरकारों को भी नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

iii. राज्यों से निष्पादन क्षमता और ठेका क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है , और इस संबंध में उनकी अनुपालन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

iv. क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्र के इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

v. मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ठेकेदारों की रूचि बढ़ाने के लिए राज्यों में कई ठेकेदार पहुंच कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

****